दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:03.01.2024

जमानत आवेदन 2857/2019

देव सोरा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री साहिल मलिक एवं श्री साहिल लाकड़ा, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मनोज पंत, अति.लो.अभि., राज्य। निरीक्षक मनमीत सिंह और महिला/उप.नि. शरण्या। सुश्री तारा नरूला और सुश्री प्रिया साहिउल, आवेदक की ओर से अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा (मौखिक)

आप.वि.आ. 29446/2023 (जमानत रद्दकरण)

1. शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 482 के साथ पठित धारा 439 (2) के तहत अभियुक्त देव सोरा को दिनांक 02.12.2019 के

आदेश के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया है, इस आधार पर कि अभियुक्त शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों को इस न्यायालय द्वारा 08.05.2023 को पारित आदेश के बावजूद धमकी दे रहा है और गाली दे रहा है।

2. इस मामले में प्राथमिकी शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने आगे आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसे 07.07.2019 को यह कहकर घर बुलाया कि उसने अपने माता-पिता से उनकी शादी के बारे में बात की है। बताया गया कि वह अपने दोस्तों के साथ अभियुक्त के घर गई थी और उसके माता-पिता से मिली थी। हालाँकि, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए और अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया।

3. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने आप.वि.वा. सं. 139/2023 की याचिका में एक परिवचन दिया था कि वह शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेगा। उक्त परिवचन को अभिलेख पर रखने पर, यह न्यायालय दिनांक 08.05.2023 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त याचिका का निपटान करने में प्रसन्न

था। बताया गया है कि 13.05.2023 को रात करीब 9.30 बजे अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को मंदिर से वापस जाते समय रोका था और उसके साथ गाली-गलौज की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद, उसने इस घटना के संबंध में 13.05.2023 और 14.05.2023 को पुलिस को फोन किया, हालांकि, उस समय उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसने संबंधित डीसीपी के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को धमकियां देना जारी रखा है, इसलिए उसे दी गई जमानत इस न्यायालय द्वारा रद्द की जानी चाहिए।

4. दूसरी ओर, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में शिकायतकर्ता सहित सभी गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, और अब मामला विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी (आई.ओ.) की जांच के लिए सूचीबद्ध है। यह भी कहा गया है कि आईओ सुनवाई की पिछली पांच तारीखों से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

5. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. का कहना है कि शिकायतकर्ता को दी गई धमकियों के संबंध में अक्टूबर, 2022 और उसके बाद 27.10.2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कहा गया है कि अक्टूबर, 2022 में प्राप्त शिकायत को

बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसके संबंध में कोई सार नहीं मिला और शिकायत दिनांक 27.10.2023 को पुलिस स्टेशन सदर को भेज दिया गया है।

6. इस न्यायालय ने शिकायतकर्ता, अभियुक्त और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

7. वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने दिनांक 02.12.2019 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त को दी गई नियमित जमानत को रद्द करने की मांग की है। मामले के गुणागुण पर विचार करने से पहले जमानत रद्द करने के कानून पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। इस संबंध में, ***दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *(2022) 8 एससीसी 559* के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:

> **"...30.** इस न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि **एक बार दी गई जमानत को अविचारित तरीके से यह जांचे बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण** विचारण के दौरान **अभियुक्त द्वारा स्वतंत्र रहते हुए** जमानत की रियायत का आनंद लेना **निष्पक्ष सुनवाई के प्रतिकूल तो नहीं।** यह कहते हुए कि, जमानत रद्द करने के मामले में**, जमानत (जो पहले ही मंजूर हो चुकी थी) को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और**

भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं। *दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349* में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत रद्द करने के लिए आधार निर्धारित किए जो हैं:-

(i) न्याय प्रशासन की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास

(ii) न्याय की उचित प्रक्रिया से बचना या बच निकलने का प्रयास करना

(iii) अभियुक्त को दी गई रियायत का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग

(iv) अभियुक्त के फरार होने की संभावना

(v) जमानत के वास्तविक दुरुपयोग की संभावना/

(vi) अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकी देने की संभावना।

31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत रद्द करना पर्यवेक्षण परिस्थितियों के घटित होने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अभाव में भी किसी अभियुक्त की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियाँ और विवेकाधिकार है। निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियां हैं जहां जमानत रद्द की जा सकती है: -

क) जहां जमानत देने वाला न्यायालय अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करते हुए तुच्छ प्रकृति की

नहीं बल्कि सारगर्भित प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है।

ख) जहां जमानत देने वाला न्यायालय दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में अभियुक्त की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करता है, खासकर जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग होता है।

ग) जहां जमानत देते समय अभियुक्त के पिछले आपराधिक अभिलेख और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

घ) जहां अपुष्ट आधारों पर जमानत दी गई है।

ङ) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

च) जहां अभियुक्त के खिलाफ बहुत गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत देना पहले अनुचित था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है और इस प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से अलग, मनमाना और विकृत प्रकृति का है।

32. *नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 16 एससीसी 508* में, अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत देने का

मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के पूर्व निर्णयों की जांच की और निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> ".....यह कानून में सुस्थापित है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे इस कारण रद्द करना क्योंकि अभियुक्त ने दुर्व्यवहार किया है या ऐसी कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियां जमानत रद्द करने का कारण बनती हैं, उस जमानत देने वाले आदेश से पूरी तरह अलग है, जो अनुचित, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, प्रासंगिक कारक जिन्हें जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था और उन पर ध्यान नहीं दिया गया है या वह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो ऐसी स्थिति में निर्विवाद रूप से वरिष्ठ न्यायालय जमानत अनुदान के आदेश को अपास्त कर सकता है ।"

8. ***सुश्री एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 16 एससीसी 511*** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने भी निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

> *"15. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि जमानत के लिए आवेदन की अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा, जमानत रद्द करने के लिए कोई पर्यवेक्षण परिस्थिति नहीं बनाई गई है। यह इंगित करने के लिए कोई तर्कपूर्ण सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ऐसे आचरण का दोषी*

रहा है जिसके कारण उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।"

9. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि शिकायतकर्ता को दी जा रही धमकियों के संबंध में अक्टूबर, 2022 में पुलिस को एक शिकायत मिली थी, हालांकि, इसमें कोई सार नहीं मिला था, और यह कि दिनांक 27.10.2023 की एक अन्य शिकायत पहले ही पुलिस स्टेशन सदर को भेज दी गई है। शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी इस न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक ए-2 की ओर आकर्षित किया था, जो संबंधित डीसीपी के पास दर्ज की गई शिकायत थी।

10. हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि इस मामले में नियमित जमानत वर्ष 2019 में दी गई थी, और शिकायतकर्ता सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच विचारण न्यायालय के समक्ष की गई थी, और केवल आईओ की जांच की जानी बाकी है, और चूंकि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस सामग्री नहीं रखी गई है कि या तो अभियुक्त ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या परिस्थितियां ऐसी हैं कि निष्पक्ष सुनवाई करना अब संभव नहीं है, यह न्यायालय वर्तमान आवेदन को अनुमति देने और अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है।

11. हालाँकि, किसी भी तरह की धमकी मिलने पर या अगर पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता गवाह संरक्षण समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगी। संबंधित पुलिस स्टेशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि यहां शिकायतकर्ता को कोई धमकी दी जाती है, तो विधि के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए।

12. चूंकि अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि आईओ, जिसकी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जांच की जानी है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, संबंधित आईओ को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी गवाही दर्ज करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें और कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

13.उपरोक्त निर्देशों के साथ आवेदन का निपटान किया जाता है।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

3 जनवरी, 2024/पर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*